छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 20–36/2014/11/6, चूंकि राज्य सरकार यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन छत्तीसगढ़ की स्टार्ट अप इकाईयों को विशेष सुविधायें प्रदान करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.01.2015 द्वारा जारी औद्योगिक नीति 2014–19 एवं उसके परिशिष्ट –6 (अ) **स्टार्ट अप पैकेज** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

(एक) औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषाएं में निम्नानुसार अनुक्रमांक–55 जोड़ा जाये :–

55 इनक्यूबेटर से आशय भारत सरकार के किसी संस्थान/विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त इनक्यूबेटर से है।

(दो) औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट –6 (अ) **स्टार्ट अप पैकेज** में 6 (इ) के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाये :–

***6 (इ) राष्ट्रीय /अन्तर्राष्टीय आयोजन में भाग लेने हेतु अनुदान** – छत्तीसगढ़ के स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संचालनालय द्वारा पूर्वानुमत एक अथवा अधिक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/वर्कशॉप/संगोष्ठी/प्रदर्शनी में भाग लिया जाता है तो इससे संबंधित निम्नांकित व्ययों की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में देश में रू. 15,000/– एवं देश के बाहर रू. 30,000/– तथा रूपये 1.00 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक होगी। अनुमत व्ययों में सम्मिलित है – हवाई यात्रा व्यय (Economy Class), रेल यात्रा व्यय अधिकतम तृतीय श्रेणी ए.सी. स्लीपर, होटल व्यय/स्टॉल व्यय।*

(तीन) औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट –6 (अ) **स्टार्ट अप पैकेज** में 9.3 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाये :–

9.3 **इनक्यूबेशन हेतु किराया अनुदान** – *छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षो तक, इन्क्यूबेटर द्वारा दी गई सीट का किराया अनुदान पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा रू. 8/– प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रतिमाह अधिकतम राशि 8,000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जावेगी।*

यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वी.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

Scanned by CamScanner